

09-05-2017:-

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हैं। अभियुक्तगण सुनील व संजय बार बार आवाज लगाने पर भी अनुपस्थित हैं। इस समय 9.15 a.m. बज चुके हैं। अतः अभियुक्तगण सुनील व संजय के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट एवं उसके जमानतियों को नोटिस अन्तर्गत धारा 446 दं०प्र०सं० दिनांक 09-06-2017 के लिये जारी हो। पत्रावली दिनांक 09-06-2017 को पेश हो।

सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर